अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 140/2012

श्रीमति द्रौपती देवी,

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढ़ौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
07.01.2016	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 3332 दिनांक 11.10.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि मो0 राशिद आलम, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना एवं मिथिलेश कुमार सिन्हा पणन पदाधिकारी मुख्यालय (सचिवालय) पटना के द्वारा संयुक्त रूप से विभागीय पत्रांक 3972 दिनांक 27.06.2012 के आलोक में दिनांक 05.09.2012 को द्रोपती देवी, ज0वि्प्र0वि0 अनु0–52/2007, पंचायत बकवॉ, प्रखंड–पानापुर की दूकान की जॉच की गई। जॉच की कम मे निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई– 1. विकेता की दूकान से संबद्ध लाभूको की सूची प्रदर्शित नही थी। 2. विकेता की दूकान पर खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं था। 3. विकेता की दूकान से संबंधित पंजियों को जॉच हेतु उपस्थापित नही किया गया। 4. विकेता की दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि लाल कूपनधारी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से 7 किलो अनाज कम दिया जाता है, और 143 रू0 लिया जाता है, अंत्योदय कूपनधारी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से 15 किलो अनाज कम दिया जाता है और 80 रू0 की वसूली की जाती है।	

अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 3109 दिनांक 24.09.2012 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3332 दिनांक 11.10.2012 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विक्रेता के द्वारा अपने दूकान के बाहर लाभूको की सूची चिपकाई गई थो, लेकिन विगत माह में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया था। विक्रेता की दूकान में सभी पंजी विधिवत रूप से संधारित थी, लेकिन जॉच पदाधिकारी के द्वारा अत्यधिक व्यस्तता की वजह से इसका अवलोकन नहीं किया गया। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3332 दिनांक 11.10.2012) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में कही भी आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं का नाम अंकित नही किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान/शिकायत की प्रति उपलब्ध नही कराई गई, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से अपेक्षित था। विक्रेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन

पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को **रिमांड** किया जाता है कि वे विक्रेता से पुनः चिन्हित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे, शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित पूर्ण विवरणी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/01/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1250 / दिनांक 15/1/16

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिल विधि शाखा,
सारण, छपरा।

17/1/16

Appurti appeal judgement 08-13 Ashok bhaitha